न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः– श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 05/2016
मेघाराम पुत्र टीकूराम जाति जाट, निवासी अमृतवासी तहसील श्रीडूंगरगढ़

अपीलान्टान्

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर

रेस्पोडेन्ट

::अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– अपीलान्ट की ओर से – श्री सुरेशचन्द्र व्यास अधिवक्ता
2– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 10.01.2019

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के आदेश दिनांक **12.12.2015** से व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा आदेश जैर अपील वधि विरूद्ध गलत, बेबुनियाद एवं असंगत होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार र्की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेण्ट स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधिनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि हल्का पटवारी की छपी–छपाई रिपोर्ट कि खसरा नम्बर **29** की **18.32** है. गैर मुमकिन गोचर में **0.06** है. पर अपीलान्ट ने **पक्का मकान व बाडा बना रखा है और इसे संवत** 2072 में बनाया जाना रिपोर्ट किया है, यह शत पतिशत मिथ्या, कूटरचित व साजिशाना रिपोर्ट है। वास्तविकता है कि ग्राम अमृतवासी 75 वर्ष पूर्व आबाद हुआ था अपीलार्थी के पड़ौसी का पट्टा संख्या **6 दिनांक 10.09.1970** ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया है। अपीलान्ट का पट्टा गुम हो चुका है। गौचर भूमि में कब्जा नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही गैरकानूनी व अन्याय पूर्ण है। ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार को आबादी रूपान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। जिसका जानकारी रेस्पोडेन्ट को है फिर भी मैलाफाईडली साजिशाना कार्यवाही की गई है। जिला कलक्टर कार्यालय की राजस्व शाखा में ग्राम पंचायत इन्दपालसर (तहसील डूंगरगढ़) के ग्राम अमृतवासी में आबादी भूमि आवंटन करने बाबत कार्यवाही जैरकार है। अपीलान्ट का गौचर भूमि पर कब्जा

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

नहीं है। वादगत भूमि मौके पर गौचर भूमि नहीं रही है। वादगत भूमि के पास खाली भूमि पर वन विभाग ने पेड़ लगा रखे है। लेकिन वन विभाग वाले भूमि का भी गौचर उपयोग कभी नहीं रहा । दिनांक **18.1.2016** को अपीलान्ट केसीसी लोन के लिए पटवारी के पास गया तब तहसीलदार ने **कहा तुम्हारा मकान बाड़ा सब कुछ तोड़ने हटाने का हुक्म दे रखा है और मुख्यमंत्री के दौरे के पश्चात पुलिस इमदाद लेकर यह कार्यवाही करूंगा।** जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः अपील में विलम्ब कन्डोन हेतु अलग से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत का अवसर नहीं दिया है । आदेश जैर अपील न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन तथा एब्यूजमेंट ऑफ प्रोसेज आम्फ कोर्ट की तारीफ में आता है। आदेश जैर विधि विरूद्व गलत, बेबुनियाद एवं असंगत होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक **12.12.2015** निरस्त फरमाया जावे।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का बिग्गा बास रामसरा द्वारा धारा 91 के तहत इस आश्य की रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलार्थी ने ग्राम अमृतवासी की आराजी खसरा नम्बर **29 तादादी 18.32 हैक्टेयर गैर मुमकीन गौचर में से 0.06 हैक्टेयर भूमि पर संवत 2072** में **नाजायज बाड़ा व पक्का मकान** बनाकर अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया है। इस पर गैर सायल को नोटिस भेजा गया। जिसका संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर 50 गुणा तावान की शास्ति से आरोपित किया गया व भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिया गया है। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन गौचर दर्ज है। गौचर भूमि पर किये गये कब्जे को नियमन नहीं किया जा सकता है ना ही अपीलार्थी की कोई नियमन पत्रावली तहसील कार्यालय में जैरकार है। अपीलार्थी गैर मुमकीन गौचर भूमि पर अतिक्रमण करने का दोषी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुवे विलम्ब के संबंध में नरम रूख अपनाते हुवे विलम्ब को क्षम्य् किया जाना उचित समझते हुवे धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुवे विलम्ब को क्षम्य् किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का ने गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुवे रिपोर्ट पेश की है। इस आधार पर गैर सायल के विरूद्व भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैर मुमकीन गौचर पर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया है, के विरूद्व अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित किया जाकर लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित की गई है। राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत भूमि गैर मुमकीन गौचर दर्ज है। विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करने पर राजस्व शाखा की पत्रावली तलब कर उसका भी अवलोकन किया गया। परन्तु राजस्व शाखा की पत्रावली आबादी भूमि विस्तार के संबंध है जो कि विचाराधीन है। प्रस्तावित भूमि की किस्म गैर.मू. गौचर है। इस आधार पर अपीलार्थी को किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। साथ ही अपीलान्ट द्वारा भूमि पर पट्टे जारी किये जाने का कथन भी किया है। जबकि स्वयं उक्त भूमि को गै.मु. गौचर बता रहे। ऐसी स्थिति में गैर मुमकीन गौचर पर कोई पट्टा वैध नहीं माना जा सकता है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादगत भूमि गैर मुमकीन गौचर दर्ज भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा मानते हुवे बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये है। ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को विधि विरूद्व नहीं ठहराया जा सकता। मामले के अद्योपरान्त अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि इस मामले में अपीलाण्ट द्वारा गैर मुमकीन गौचर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किये जाने के कारण ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा बेदखली के आदेश पारित किये है। माननीय उच्च्व न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसे प्रकरणों में गैर मुमकीन गौचर भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को गैर कानूनी करार दिया है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि अपीलान्ट गैर मुमकीन गौचर भूमि पर काबिज नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत् होने के कारण हमें इसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। लिहाजा उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है ।

6. निर्णय आज दिनांक 10.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.एच. गौरी)
अति.जिला कलक्टर,(प्रशा.)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर